भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 586
दिनांक 04 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में स्वायत्त मेडिकल कॉलेज

586. श्री भोला सिंह:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में नए स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को मंजूरी दी है और यदि हां, तो बुलंदशहर सहित तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(ख): क्या इन नए स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग): क्या उत्तर प्रदेश के इन मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ): क्या सरकार का उन जिलों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का विचार है जहां कोई सरकारी/निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.): सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ड.): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य किफायती तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलनों में सुधार करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाना है। इस स्कीम के दो घटक हैं-नए एम्स की स्थापना करना और मौजूदा सरकारी चिकित्सा कॉलेजों को उन्नत करना । इस स्कीम के तहत 22 नए एम्स स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश के रायबरेली और गोरखपुर में एम्स की स्थापना करना भी शामिल है।

आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने दिनांक 20.07.2020 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से मौजूदा जिला अस्पतालों की सेवाओं का उपयोग करके पीपीपी प्रणाली में स्थापना हेतु चिकित्सा कॉलेजों के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधियन की अनुमति दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कम सुविधा वाले क्षेत्रों, जहां कोई भी सरकारी अथवा निजी चिकित्सा कॉलेज मौजूद नहीं है, के लिए प्राथमिकता आधार पर ''मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबंद्ध नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना'' के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलाता है। इस सकीम के तहत भारत सरकार ने तीन चरणों में 157 नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना को अनुमोदित किया है। इनमें से 70 चिकित्सा कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) दिए गए हैं और ये पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में, इस स्कीम के तहत 27 चिकित्सा कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं जिसमें बुलन्दशहर शामिल है, और अनुमोदित चिकित्सा कॉलेजों में 13 कॉलेज शुरू हो गए हैं।

*****